"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 — पौष 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

अधिसूचना
संख्या 74/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-65/2018/ वाक/पांच(121). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 में आवेदन के भाग क में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके भाग क में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित हैं जो भाग क में उल्लेखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।" ।

3. उक्त नियमों में, नियम 45 के उपनियम (3) में "छुटपुट काम करने वाले से प्राप्त" शब्दों के पश्चात् "या एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे को भेजा गया" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 46 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।" ।

5. उक्त नियमों में नियम 49 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रानिक बिल जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

6. उक्त नियमों में नियम 54 के,--

(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज़ जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

(ख) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार टिकट जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

7. उक्त नियमों में नियम 89 के उपनियम (5) के स्पष्टीकरण (ख) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"समायोजित कुल आर्वत" और "सुसंगत अवधि" के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में है।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 96 के उपनियम (1) के खंड (क) में "सम्यक् रूप से निर्यात माल फाईल करता है" शब्दों के पश्चात् "प्रस्थान घोषणापत्र या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 101 के उपनियम (1) में "वित्तीय वर्ष" शब्दों के पश्चात् "या उसका भाग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों नियम 109क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"109ख. पुनरीक्षण के मामले में व्यक्ति को नोटिस और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश-(1) जहां धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है जिससे व्यक्ति के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01 में नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ प्ररुप जीएसटी एपीएल-04 स्पष्ट रूप से संपुष्ट माग की अंतिम रकम दर्शित करते हुए आदेश का सार जारी करेगा।"।

11. उक्त नियमों में नियम 138 के उपनियम (1) में स्पष्टीकरण (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" का वही अर्थ है जो इसका समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 56/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-57/2018/वाक/पांच(97), दिनांक 23 अक्टूबर, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 446 तारीख 3 नवम्बर, 2018 में है।"

12. उक्त नियमों के नियम 138घ के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"138ड़. प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी देने पर निर्बंधन-नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिति, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कुरियर अभिकरण भी है) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्त करता जो,-

(क) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति है, उसने दो लगातार कर अवधियो के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की हैं:या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने दो मास की लगातार अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है:

परंतु आयुक्त पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तथा लिखित में कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्ररुप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररुप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुज्ञा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आयुक्त" पद से खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।"

13. उक्त नियमों में, नियम 142 के उपनियम (5) में "धारा 74" शब्दों के पश्चात् "या धारा 75 की उपधारा (12)"शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखिए]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(नैमित्तिक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाला कर का संग्रहण करने वाला, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:							
2.	विधिक नाम :							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो :							
4.	पता :							
5.	कर अवधि : (यदि कोई हो)	<वर्ष>/मास से > वर्ष >मास/						
6.	दावा की गई प्रतिदाय की रकम (रु0):	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के आधार (नीचे से चयन करें) :	(क)	इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिशेष :					
		(ख)	सेवाओं के निर्यात+कर के संदाय के साथ :					
		(ग)	माल/सेवाएं के निर्यात – कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात					
		(घ)	आदेश के मद्दे					
			क्रम सं.	आदेश का प्रकार,	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)
			(i)	निर्धारण				

			(ii)	अंनतिम निर्धारण को अंतिम रुप देना				
			(iii)	अपील				
			(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				
		(ड.)	विपर्यस्त कर ढांचा के कारण संचित आई टी सी [धारा 54(3)) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]					
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के साथ)					
		(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के बिना)					
		(ज)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता					
		(झ)	ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपबंधित नहीं और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है पर संदत्त कर (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)					
		(ञ)	अंतराराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे बाद में अंतराराज्यिक प्रदाय अनिर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)					
		(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।					
		(ठ)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
8.	बैंक खाता के ब्यौरे	बैंक का नाम	बैंक शाखा का पता	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	खाता के प्रकार	खाता संख्या		
9.	क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो			☐ हाँ		☐ नहीं		

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूं / करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय

का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति"]

घोषणा [धारा 54(3)(ii))]

मैं यह घोषणा करता हूं /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी संम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम /प्रास्थिति"

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता /**प्रदायकर्ता के लिए**)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख मेंदिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं / देती हूं यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(l)]

मैं.....(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.....है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज या .....से ..... तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

10. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान तारीख	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (नाम) पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध – 1

विवरण -1 [नियम 89 (5)]

प्रतिदाय : प्रकार विपर्यस्त कर सरंचना के लिए देय संचित आई टी सी [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii)]

(रकम रु0 में)

माल और सेवाओं के विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय रकम
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2))(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्र म सं..	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएस टी आईएन रजिस्ट्री कृत प्रदायक र्ता का नाम	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /बी 2 सी)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है ।

विवरण- 2 [**नियम** 89(2)(**ग**)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बी आर सी/एफ आई आर सी		नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	मूल्य		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [**नियम** 89(2)(**ख**) **और** 89(2)(**ग**)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस	पोत पत्र/ निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं..	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- **3क [नियम 89(4)]**

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ङ.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु0 में.)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आई एन	बीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष /विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ङ.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय के बगैर)

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/ सेवाएं (जी/एस)	लदान बिल/निर्यात बिल/ पृष्ठांकित बीजक सं.	
	सं.	तारीख	मूल्य		स.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89 (2) (ञ)]

प्रतिदाय प्रकार :पी ओ एस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्य से अंतराराज्यिक और विपर्य)

आदेश ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो : आदेश सं. आदेश तारीख :

जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	बीजक के ब्यौरे				पूर्व अन्तराराज्यिक/अन्तरराज्यिक के रूप में संव्यवहार पर संदत्त कर के ब्यौरे					ऐसे संव्यवहार पर पुनःनिर्धा अन्तरराज्यिक/अ		
					एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/सं राज्यक्षेत्र क
	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरण 7[नियम 89 (2) (ट)]

नियम 89(2)(ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

(रकम रु0 में)

कर अवधि	विवरणी का ए आर एन	विवरणी फाइल करने की तारीख	संदेय कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र (नियम 89(2)(ड))

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....कर अवधि के लिए.....माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आई डी, मैसर्स..... (आवेदक का नाम) द्वारा .....(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रुप से अनुरक्षण दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर:

नाम:
सदस्य संख्या:
स्थान:
तारीख:

टिप्पण : इस प्रमाणपत्र की ऐसे आवेदक से देने की अपेक्षा नहीं है जिसने अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।

अनुदेश-

1. प्रयुक्त पद:

क. बी से सी	:	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
ख. ईजीएम	:	निर्यात साधारण घोषणापत्र
ग. जीएसटीआईएन	:	माल और सेवा कर पहचान संख्या
घ. आईजीएसटी	:	एकीकृत माल और सेवा कर
ङ. आईटीसी	:	इनपुट कर प्रत्यय
च. पीओएस	:	प्रदाय का स्थान (श्रमिक राज्य)
छ. एसईजेड	:	विशेष आर्थिक जोन

ज. अस्थायी आईडी : अस्थायी पहचान संख्या

झ. यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में उपलब्ध अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय रिटर्न या आवेदन फाइल करके भी दावा किया जा सकता है ।

3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करते समय इलैक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद लेजर में की जाएगी ।

4. **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02** में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है ।

5. आईजीएसटी के संदाय के साथ माल के निर्यात पर प्रतिदाय का दावा इस आवेदन के साथ प्रक्रियागत नहीं किया जाएगा ।

6. बैंक खाता ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कथन किए जाने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संसोधित किया जाएगा ।

7. घोषणा उन मानलों में फाइल की जाएगी, जहां कहीं अपेक्षित हों ।

8. 'कुल इनपुट कर प्रत्यय' से सुसंगत अवधि के दौरान कथन-1 के प्रयोजन के लिए इनपुट पर उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कथन 3क और 5क के प्रयोजन के लिए इनपुट सेवाओं पर आईटीसी भी है ।

9. 'समायोजित कुल आवर्त' से धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को छोड़कर किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है ।

10. कथन-1 के प्रयोजन के लिए, प्रदिताय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए पर आधारित होगा ।

11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां बाध्यकारी होंगे, जहां सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाता है, माल के निर्यात के मामले में पोत बिल और ईजीएम प्रदान करना बाध्यकारी होगा ।

12. जहां (निर्यात समेत) बीजक ब्यौरों का संशोधन किया जाता है, प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे कथन-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे ।

14. कर के संदाय के बिना एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेव्ल्पर को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार निकाली जाएगी ।

15. 'माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो नियम 89(4) में परिभाषित है।"।

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआरएफडी-01क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01क

[नियम 89(1) और 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (निर्देशिका)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष/मास >		से <वर्ष/मास >				
6.	दावा किया गया प्रतिदाय की (रु0) :	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन	(क)	इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :					
		(ख)	माल/सेवाओं के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :					

करें) :

(ग) माल/सेवाओं का निर्यात-कर के संदाय के बगैर (संचित आईटीसी)

(घ) विपर्यस्त कर संरचना के प्रति देय संचित आईटीसी [धारा 54(3)] के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन

(ङ) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय सहित)

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय बगैर)

(छ) समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता

(ज) आदेश के मद्दे

क्रम सं0	आदेश का प्रकार	आदेश सं0	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय निर्देश सं0 यदि कोई हो
(*i*)	निर्धारण				
(*ii*)	अंनतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
(*iii*)	अपील				
(*iv*)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट				

					करें)				
		(झ)	अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे पश्चात्वर्ती अंतरराज्य प्रदाय निर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)					
		(ञ)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।					
		(ट)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					

[*घोषणा धारा 54(3) का दूसरा परंतुक*]

मैं घोषणा करता हूं/करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii))]

मैं यह घोषणा करता हूं /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी संम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता /**प्रदायकर्ता के लिए**)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विविरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय को रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विविरण 5ख मेंदिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं / देती हूं यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(l)]

मैं.....(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.....है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज या .....से ..... तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

8. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

<u>उपाबंध-1</u>

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के प्रतिदेय संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रू में रकम)

माल और सेवाओं के प्रदाय विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रदाय रकम [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्रम सं..	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटीआईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारीख	करा धेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /**संघ राज्य क्षेत्र कर**	सं.	तारीख	करा धेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /**बी 2 सी**)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है ।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	उपकर	बी आर सी /एफ आई	नामेनोट में	जमापत्र में	शुद्ध एकीकृत

							आर सी		अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/ निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	**संदर्भ सं.**	**तारीख**	सं..	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु0 में.)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आई एन	Iबीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष /विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	करादेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	करादधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89(2)(ञ)]

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतराराज्यिक और विपर्ययेन)

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो:

आदेश सं0: **आदेश तारीख:**

जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	राज्यांतरित/अन्तरराज्यिक पूर्व के रूप में संव्यवहार अच्छादित के ब्यौरे						संव्यवहार जिसके लिए अन्य धा		
	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य राज

	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम	प्रास्थिति)	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

विवरण:7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय प्रकार: फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

(रकम रु में)

कर अवधि	विवरणी का एआरएन	विवरणी फाइल करने की तारीख	अधिक संदत्त किया गया कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

"|

16. उक्त नियमों के, प्ररुप **जीएसटी आर-9** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप जी एस टी आर-9

(नियम 80 देखें)

वार्षिक विवरणी

पीटी. I	मूल ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष	
2	जी एस टी आई एन	
3क	विधिक नाम	
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	

पीटी..II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे					
				(सभी सारणियों में रकम रुपये में)		
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	**उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल में जो संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे**					
क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					

घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					
ड.	समझा गया निर्यात					
च	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
ञ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ट	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ठ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय / कर					
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग					
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)					

5	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई करसंदेय नहीं है

क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय					
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है					
घ	छूट-प्राप्त					
ड.	शून्य रेटेड					
च	गैर – जी एस टी प्रदाय (जिसके अंतर्गत 'कोई प्रदाय नहीं' भी है)					
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)					
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय					
ट	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय					

ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)					
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)					
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड -4छ)					

पीटी. III	वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे

	विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6

6	वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे

क	प्ररुप जी एस टी आर-3ख के माध्यम से उपभोग की गई निवेश कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररुप जी एस टी आर – 3ख के सारणी 4क कर कुल जोड़)		<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी	निवेश				
		पूंजी माल				

	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ड.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश				
		पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से आवक प्रदाय छोड़कर)					
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश का प्रत्यय					
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आई टी सी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)					
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)					
ञ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)					
ट	टी आर ए एन-। के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यदि कोई हो)					
ठ	टी आर ए एन-॥ के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय					
ड	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी					
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)					

ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)				

7	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी के और अप्राप्त आईटीसी के ब्यौरे

क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ड.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन – । प्रत्यय का उलटाव				
छ	टीआर ए एन – ।। प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आईटीसी (उपर्युक्त क से ज का जोड़)				
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				

8	**सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी**

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से				

	प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख +ग)				
ड.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			
झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
ट	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. +च + ञ)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी. IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में संदत्त कर के ब्यौरे			
				आई टी सी के माध्यम से संदत्त

9	विवरण	संदेय कर	सदंत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

पीटी. V	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वितीय वर्ष के या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां

	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वितीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर

	विविरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

पीटी. VI	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							
घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ड.	कुल करों							

	की मांग							
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

16 धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रर्तियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

17 जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन

एच एस एन	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

कोड			मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18	आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय मूल्य	कर की द	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का

नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख भरना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

3. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख घोषित नहीं किया गया है इस विवरणी में घोषित किया जाए। तथापि, इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-20182017-2018 के दौरान गैरदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का करदाता दावा नहीं कर सकता ।

4. भाग II में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । यह नोट किया जाए कि सभी प्रदायों जिनका संदाय प्ररूप जीएसटी आर-3ख के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य किया गया है की घोषणा इस भाग की जाएगी।

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमश: संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।

4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा ।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ञ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ट और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग

	किया जा सकेगा ।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5घ, 5ङ और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।
5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ञ और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी । इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं । तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है ।

5. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वत: यहां दिया जाएगा ।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा । जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुन: दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।
6ग.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ङ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा ।

6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6छ.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुन: दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
6झ.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए ।
6ट.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ठ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा। यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ में वर्णित रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित नहीं किया गया तो प्ररूप जीएसटी आर-9 की सारणी 7ङ में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यदि प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4घ में उल्लिखित रकम प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4क में

	सम्मिलित है तो प्रविष्टि प्ररूप जीएसटी आर-09 की 7ड में आएगी।
8क.	वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित और प्ररूप जीएसटी आर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वत: दर्शाया जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है ।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वत: दिखाया जाएगा ।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा ।
8घ	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटी आर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । तथापि, जहां ऐसी परिस्थितियां हों कि प्ररूप जीएसटीआर-2क में उपलब्ध प्रत्यय से प्ररूप जीएसटी आर-3ख में उपभुक्त प्रत्यय अधिक था तो ऐसे मामलों में पंक्ति 8घ में मूल्य नकारात्मक होगा ।
8ङ और 8च.	प्रत्यय जो उपलब्ध था और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग नहीं किया गया और प्ररूप जीएसटीआर-3ख वह उपभोग किए जाने के लिए वह पात्र नहीं था को यहां घोषित किया जाएगा । आदर्श रूप से, यदि 8घ धनात्मक है तो 8ड और 8च का जोड़ 8घ के बराबर होगा।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
8ज.	सारणी 6ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वत: दर्शित किया जाएगा ।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी ।

6. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

7. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा पूर्व वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे ।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाइल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा ।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, फाइल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा । तथापि, धारा 16 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई आईटीसी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान में उलट दिया गया था परंतु वित्तीय 2018-19 में उसका पुन: दावा किया गया, ऐसे पुन: दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे।

8. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क,15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया

	गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है । इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है ।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है । सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा । यह नोट किया जाए कि इसके संक्षिप्त ब्यौरे केवल उन आवक प्रदायों के लिए घोषित किए जाएं जिनका मूल्य आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो ।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

9. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से इस रूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रानिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएं।

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--